:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :— महावीर प्रसाद जैन RAS.

मूकदमा नम्बरः— 04/25

1. श्री शारदादेवी पत्नि भरतलाल डेण्डोर जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खुमानपुरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. श्री लछमण पिता लालु पारगी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खुमाणपुरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
2. श्री जगजी पिता लालु पारगी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खुमाणपुरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
3. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 209 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः— अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की ओर से

—:निर्णयः— दिनांक 27.05.2026

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण गांव खुमाणपुरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है।

यह कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा खुमानपुरा में खाता संख्या नया 174 व पुराना 117 खसरा नम्बर 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 473, 474, 475, 488, 489, 490, 491, 492 व 493 कुल खेत किता 18 कुल रकबा 4.1098 है0 में हिस्सा होकर स्थित है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण पारिवारिक बंटवारे अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

यह कि संपूर्ण वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी है। जिस पर पारिवारिक बंटवारे अनुसार ही काबिज है। जिसका मौके व रिकॉर्ड में विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज है। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके पर बटवारा नहीं किए जाने पर वाद विविधता बढेगी।

यह कि प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबंद किये जाने आवश्यक है कि प्रतिवादीगण बिना विधिक बंटवारा किये वादग्रस्त आराजी की खुमानपुरा में खाता संख्या नया 174 व पुराना 117 खसरा नम्बर 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 473, 474, 475, 488, 489, 490, 491, 492 व 493 कुल खेत किता 18 कुल रकबा 4.1098 है0 में वादी के हिस्से व कब्जे की आराजी में प्रतिवादीगण वादी को काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करे, न ही अपने मित्र, एजेंट, मजदुरों से करावें। वादग्रस्त आराजी कोई हिस्सा विक्रय, रहन , बक्षीस न करे न ही ऐसा कोई दस्तावेज संपादित करे जिससे राजस्व रिकॉर्ड का कोई हिस्सा हंस्तान्तरित माना जावें।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्ड में अंकित हिस्से के अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादग्रस्त आराजी वादीया की विरासती सह खातेदारी आराजी होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन वादीया के पक्ष में है तथा वादीया को उसके हिस्से में काश्त नहीं करने देने पर वादीया भारी आर्थिक नुकसान होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहे। कई अवसर देने पर भी लम्बे समय से अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व दिनांक 15.10.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। 15.04.2026 को वकील वादी ने साक्ष्य शारदा/भरतलाल पी.डब्ल्यु 1 के बयान लेखबद्ध करवायें–
प्रदर्श 1– जमाबंदी।
बयान शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में 15.04.2026 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई आदेश जारी कर तहसीलदार चिखली को मीट्स एण्ड बाउण्ड पद्धति के आधार पर बटवारा स्किम हेतु लिखा गया। 13.05.2026 को तहसीलदार चिखली से बंटवारा स्किम प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। 27.05.2026 को वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वादीपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार बटवारा किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर तहसीलदार चिखली से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट स्वीकार करना उचित समझता हूँ। बटवारा प्रस्ताव एवं नक्शा इस आदेश का अंश रहेगा। अतः

–ःआदेशः–

तहसीलदार चिखली को आदेशित किया जाता है कि प्राप्त बटवारा प्रस्ताव एवं नक्शे (आदेश के साथ संलग्न) के आधार पर मौजा खुमानपुरा में खाता संख्या नया 174 व पुराना 117 खसरा नम्बर 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 473, 474, 475, 488, 489, 490, 491, 492 व 493 कुल खेत किता 18 कुल रकबा 4.1098 है0 में वादी एवं प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार बंटवारा कल अलग–अलग खाते कायम किये जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के बटवारे में प्राप्त हुई भूमि में ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वादी के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। राजस्व रिकॉर्ड में रहन बदस्तुर रहेगा।

(महावीर प्रसाद जैन)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चिखली
उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

बटवारे में अंतिम डिक्री
(सिविल प्रोसिजर कोर्ड एनिन्डिक्स ए)
अज–अदालत :– उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपुर (राज0)
बईजलास– महावीर प्रसाद जैन आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 04 / 25

निर्णय दिनांक :–27.05.2026

1. श्री शारदादेवी पत्नि भरतलाल डेण्डोर जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खुमानपुरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. श्री लछमण पिता लालु पारगी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खुमाणपुरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
2. श्री जगजी पिता लालु पारगी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खुमाणपुरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
3. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 209 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की ओर से

प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चिखली को आदेशित किया जाता है कि बटवारा प्रस्ताव एवं नक्शे के आधार पर मौजा खुमानपुरा में खाता संख्या नया 174 व पुराना 117 खसरा नम्बर 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 473, 474, 475, 488, 489, 490, 491, 492 व 493 कुल खेत किता 18 कुल रकबा 4.1098 है0में वादी एवं प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार बंटवारा कल अलग–अलग खाते कायम किये जावें, उक्त विभाजन प्रस्ताव, मय नक्षा ट्रेस इस आदेश/डीक्री का भाग है। एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के बटवारे में प्राप्त हुई भूमि में ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वादी के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। राजस्व रिकॉर्ड में रहन बदस्तुर रहेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर अदालत के आज दिनांक 27.05.2026 को जारी की गई।

(महावीर प्रसाद जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

मुदबई	रूपया/पैसा	मद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00

उपखण्ड अधिकारी
चिखली
उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

प्रसाद जैन

मौजा - खुमानपुरा

प.स. [illegible]

डूंगरपुर

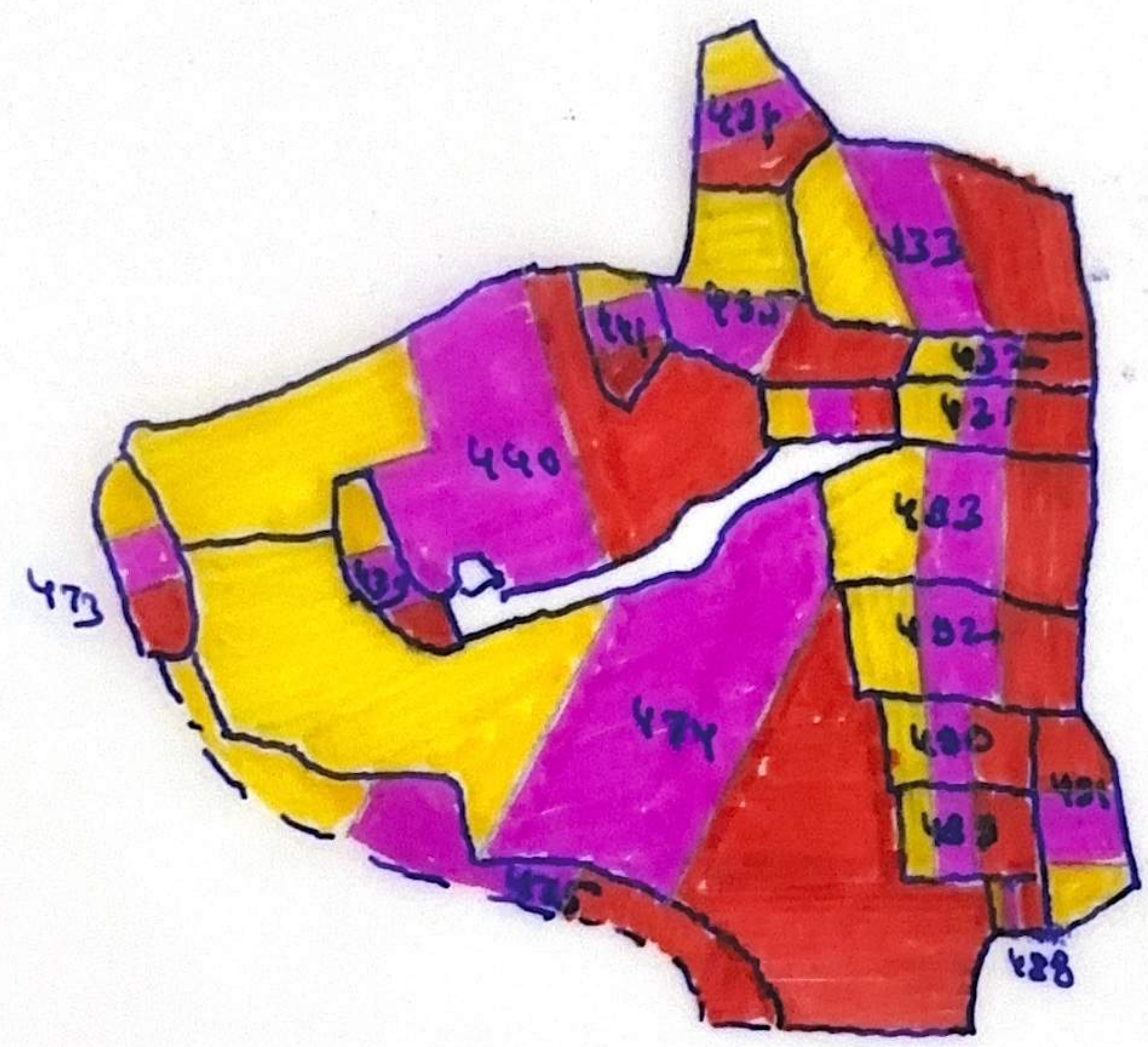

संकेत -

(पीला) → जगजी पुत्र लालु मीणा

(गुलाबी) → पेमला पुत्र लालु मीणा

(लाल) → शारदा देवी w/o भरतलाल मीणा

पटवारी
पटवार मण्डल
चिखली, जि. डूंगरपुर

तहसीलदार चिखली
जि. डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

...नामा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय चिखली द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री मुकदमा न. 4/25 मौजा–खुमानपुरा प.ह. दरियाटी जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या 174 खसरा किता 1 रकबा 4.1098 हैक्टेयर

खाता सं.	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	जगजी पुत्र लालू हि.पूर्ण सा. देह खातेदार			लछमण पुत्र लालू हि.पूर्ण सा. देह खातेदार			शारदा देवी पत्नी भरतलाल हि.पूर्ण सा. देह खातेदार		
					खसरा न.	रकबा	लगान	खसरा न.	रकबा	लगान	खसरा न.	रकबा	लगान
174	431	0.089	सु.तृ.	0.04	431/1	0.0297	0.013	431/2	0.0297	0.013	431/3	0.0296	0.013
	432	0.0728	सु.तृ.	0.03	432/1	0.0243	0.01	432/2	0.0242	0.01	431/3	0.0243	0.01
	433	0.3155	सु.द्वि.	0.21	433/1	0.1051	0.07	433/2	0.1052	0.07	433/3	0.1052	0.07
	434	0.1052	सु.तृ.	0.05	434/1	0.0351	0.016	434/2	0.035	0.016	434/3	0.0351	0.016
	435	0.1861	सु.द्वि.	0.12	435/1	0.062	0.04	435/2	0.0621	0.04	435/3	0.062	0.04
	436	0.0485	सु.तृ.	0.02	436/1	0.0162	0.006	436/2	0.0161	0.006	436/3	0.0162	0.006
	439	0.0728	बिड	0.01	439/1	0.0243	0.003	439/2	0.0243	0.003	439/3	0.0242	0.003
	440	0.7119	सु.द्वि. खलियान	0.46	440/1	0.2373	0.15	440/2	0.2373	0.15	440/3	0.2373	0.15
	441	0.0647	म बिड	0	441/1	0.0215	0	441/2	0.0216	0	441/3	0.0216	0
	473	0.0728	म बिड	0	473/1	0.0243	0	473/2	0.0243	0	473/3	0.0242	0
	474	1.3591	सु.प्र.	1.16	474/1	0.4531	0.4	474/2	0.453	0.37	474/3	0.453	0.37
	475	0.2427	म बिड	0.01	475/1	0.0809	0.003	475/2	0.0809	0.003	475/3	0.0809	0.003
	488	0.0324	सु.तृ.	0.01	488/1	0.0108	0.003	488/2	0.0108	0.003	488/3	0.0108	0.003
	489	0.089	सु.द्वि.	0.06	489/1	0.0296	0.02	489/2	0.0297	0.02	489/3	0.0296	0.02
	490	0.089	सु.द्वि.	0.06	490/1	0.0296	0.02	490/2	0.0296	0.02	490/3	0.0297	0.02
	491	0.1214	पडत	0.01	491/1	0.0405	0.003	491/2	0.0405	0.003	491/3	0.0404	0.003

पटवारी
पटवार मण्डल ....

तहसीलदार चिखली
जि. डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

	92	0.178	सु.द्वि.	0.12	492/1	0.0594	0.04	492/2	0.0593	0.04	492/3	0.0593	0.04
	493	0.2589	सु.द्वि.	0.17	493/1	0.0863	0.05	493/2	0.0863	0.05	493/3	0.0863	0.05
योग	18	4.1098		2.54		1.37	0.86		1.3699	0.84		1.3699	0.84

पटवारी
पटवार मण्डल
चिखली, जि. डूं.

तहसीलदार चिखली
जि. डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर